न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

प्रार्थना–पत्र संख्या :– 40/2021

महेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री ओंकार सैनी जाति माली उर्म 50 वर्ष निवासी पट्टीवाली ढाणी ग्राम श्यामनगर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. रतिराम पुत्र ग्यारसीराम
2. उमराव पुत्र ग्यारसीराम
3. हंसराज पुत्र दीनाराम
4. पूरण पुत्र दीनाराम
5. मिश्री बेवा कैलाश
6. सीताराम पुत्र कैलाश
7. रीना देवी पुत्री कैलाश
   समस्त जाति गुर्जर निवासी पट्टीवाली ढाणी ग्राम श्यामनगर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली

अप्रार्थीगण्

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान आवंटन नियम 1970 वास्ते निरस्त किये जाने आवंटन खसरा नम्बर 376/0.16 ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली दिनांक 09/9/94

निर्णय

दिनांक 19-1-2022

अप्रार्थीगण् की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का निस्तारण इस आदेश से किया जा रहा है । तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी महेन्द्र कुमार सैनी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान आवंटन नियम 1970 वास्ते निरस्त किये जाने आवंटन ख.नं. 376/0.16 वाके ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली दिनांक 09/9/1994 अप्रार्थीगण् संख्या 01 व 02 तथा अप्रार्थीगण् संख्या 3 लगायत 7 के पुर्वजों के हक में किया गया को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया जो दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण् को नोटिस जारी किये गये, जिस पर अप्रार्थीगण् उपस्थित आये।

अप्रार्थी उमराव की ओर से आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी रेसजुडीकेटा इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान आवंटन नियम 1970 निरस्त किये जाने आवंटन ख.नं. 376/0.16 है0 वाके ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली दिनांक 09/9/94 प्रस्तुत किया जबकि इस प्रार्थना–पत्र से पूर्व प्रार्थना–पत्र संख्या 40/2008 ब उनवानी चौथमल आदि बनाम दीनाराम आदि ख.नं. साबिक 158 हाल ख.नं. 376/0.16 वाके ग्राम बासडी का आवंटन निरस्त करने हेतु आवेदन किया था कि रास्ते की भूमि को दर्ज करते हुये किस्म बदल दी गयी जिसका सैटलमैन्ट को कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 06/6/1992 को इसे अप्रार्थीगण् के नाम आवंटित कर दिया गया, जिसके पश्चात् अप्रार्थीगण् ने रास्ते को बन्द कर दिया। गै.मु. रास्ते का आवंटन अवैध है तथा अप्रार्थीगण् भूमिहीन कृषक नही है। अतः आवंटन खारिज किया जावें।

अप्रार्थीगण् की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी का जवाब दिनांक 06/01/22 को प्रस्तुत किया प्रस्तुत जवाब में वर्णित किया कि धारा 11 सीपीसी का प्रावधान वाद के विचारण के लिए है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र 14(4) राजस्थान भू–आवंटन नियम 1970 के तहत् आदेश 09/9/1994 को चुनौती दी गयी है, जिस पर धारा 11 सीपीसी के प्रावधान लागू नही होते है। इसलिए अप्रार्थीगण् का प्रा.पत्र 22/12/2021 गैर कानूनी एवं अवैध है जो चलने योग्य नहीं है जो खारिज किया जावें। इस प्रार्थना–पत्र से पूर्व प्रा.पत्र चौथमल बनाम दीनाराम आदि बाबत प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है। पूर्व प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी पक्षकार भी नहीं है। प्रार्थना–पत्र चौथमल बनाम रतीराम में दिनांक 06/6/1992 के आवटन को चुनौती दी गयी है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

उस प्रार्थना–पत्र में आवंटन आदेश 09/9/1994 को चुनौती ही नहीं दी गयी है। प्रार्थी ने आवंटन आदेश 09/9/94 को अब चुनौती दी है। पूर्व आदेश में रास्ते का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों के मध्य सिविल वाद विचाराधीन है। रास्ते का प्रश्न निर्णित नहीं किया गया है। सैटलमेन्ट से पूर्व गै.मु. रास्ता दर्ज होना स्वीकार किया गया है। रास्ते की भूमि को कानूनन आवंटन नहीं किया जा सकता है। इसलिए आदेश दिनांक 17/12/2008 तथा राजस्व अपील अधिकारी जयपुर का आदेश क्षेत्राधिकार विहीन है जो शून्य है।

पूर्ववर्ती प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी पक्षकार नहीं है तथा आवंटन आदेश 06/6/1992 को चुनौती दी गयी है। आवंटन आदेश 09/9/1994 को चुनौती नहीं दी गयी है। रास्ते का प्रश्न सिविल कोर्ट में विचाराधीन है जो निर्णित नहीं किया है। इसलिए विवाद अन्तिम रूप से विनिश्चत नहीं किया गया है। हस्तगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने आवंटन आदेश 09/9/94 को चुनौती दी है। इसलिए प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र प्राडग न्याय के सिद्वान्त के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी का प्रार्थना–पत्र 22/12/2021 खारिज किया जावें।

पक्षकार की बहस सुनी गयी। अप्रार्थीगण् ने अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि उपरोक्त प्रार्थना–पत्र ने अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान आवंटन नियम 1970 निरस्त किये जाने आवंटन ख.नं. 376/0.16 है0 ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली दिनांक 09/9/1994 प्रस्तुत किया है। उपरोक्त प्रार्थना–पत्र में मुख्य आधार लिया है कि साबिक ख.नं. 158 वाके मौजा बासडी हाल बन्दोबस्त ख.नं. 376/0.16 है0 जो रास्ता राजकीय भूमि है। रास्ते की जगह राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक भूमि दर्ज कर दी जो गैर कानूनी रूप से 09/9/1994 को गलत एवं अवैध रूप से आवंटन कर दी इसलिए आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रार्थना–पत्र से पूर्व प्रार्थना–पत्र संख्या 40/2008 चौथमल बनाम दीनाराम आदि ख.नं. 158 हाल 376/0.16 वाके मौजा बासडी का आवंटन निरस्त करने हेतु निवेदन किया था जो रास्ते की भूमि को सिवायचक दर्ज करते हुये आवंटन कर दिया। रास्ता बन्द कर दिया जिस कारण प्रार्थी व अन्य लोगों को कठिनाई हो रही है। आवंटन निरस्त किया जाये। पूर्व प्रार्थना–पत्र 40/2008 चौथमल बनाम दीनाराम में पारित निर्णय 17/12/2008 को मान्य न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि यह सही है कि यह भूमि सैटलमेन्ट से पूर्व गैर मुमकिन दर्ज थी किन्तु आवंटन के समय सिवायचक के रूप में दर्ज थी इसी रूप में आवंटन किया है। प्रार्थना–पत्र 06/6/1992 के आवंटन को चुनौती दी है किन्तु अप्रार्थीगण् का आवंटन 09/9/1994 का है। आवंटन की प्रकिया में किसी प्राकर की अनियमितता होता प्रतीत नहीं होना तथा भूमि के खातेदार अधिकार प्रार्थीगण को प्राप्त हो चुके है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। उक्त आदेश की अपील संख्या 5/2009 चौथमल बनाम दीनाराम राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां की गयी जो अपील खारिज कर दी गयी । अति0 कलक्टर न्यायालय का निर्णय यथावत रखा गया। उक्त आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गयी इस प्रकार अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। "धारा 11 सीपीसी में स्पष्टीकरण 6 जहां कोई व्यक्ति किसी लोक अधिकारी के या किसी ऐसे प्राईवेट अधिकारी के लिए सदभाव पूर्वक मुकदमा करते है, जिसका वह अपने लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए सामान्यतः दावा करते है। इस धारा के प्रयोजन के लिए यह समझाईस कि ऐसे मुकदमा करने वालों व्यक्तियों से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करते है"।

पूर्ववर्ती व हस्तगत प्रार्थना–पत्र में प्रत्यक्षतः ओर सारत मुख्य विवाद यह है कि साबिक ख.नं. 158 हाल 376/0.16 वाके ग्राम बासडी राजकीय रास्ता की जगह सिवायचक दर्ज कर आवंटन कर दी तथा रास्ता बन्द हो गया। उक्त विवाद अन्तिम रूप से विनिश्चिय हो चुका है। इसलिए आवेन पत्र प्राडग न्याय सिद्वान्त के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र 11 (रेसजुडीकेस) सीपीसी व सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रा.पत्र धारा 14(4) राजस्थान आवंटन नियम 1970 प्राडग न्याय के तहत् खारिज फरमावें। वकील अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में धोलिया बनाम बोर्ड ऑफ रेवन्यु व अन्य निर्णय दिनांक 26/7/2002 व निर्णय आरआरटी 2005 (1) मांगेलाल बनाम बदरीलल व अन्य पेज 648 व WLC 2009(1) राजस्थान पेज 262 पेश किया है। प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी की ओर से अपने जवाब के अनुरूप तथ्यों को अपनी बहस के दौहराया कि धारा 11 सीपीसी का प्रावधान वाद के विचारण के लिए है। प्रार्थी का प्रा.पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 आदेश 9/9/1994 को चुनौती दी गयी है जिस पर धारा 11 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होता है। इसलिए अप्रार्थी का प्रा.पत्र 22/12/2021 गेर कानूनी एवं अवैध है जो सुनने योग्य नहीं है जो खारिज किया जावें। इस प्रा.पत्र से पूर्व प्रा.पत्र चौथमल बनाम दीनाराम आदि

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

बाबत कोई जानकारी नहीं है। पूर्व प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी पक्षकार भी नहीं है । पूर्व प्रा.पत्र चौथमल बनाम रतीराम में दिनांक 06/6/1982 को चुनौती दी गयी है। उसमें 09/9/94 को कोई चुनौती नहीं दी गयी है। रास्ते बाबत दोनों पक्षों के मध्य सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। रास्ते की भूमि का कानूनन आवंटन नहीं किया जा सकता। इसलिए विवाद अन्तिम रूप से विनिश्चित नहीं किया गया है। हस्तगत प्रार्थना–पत्र 09/9/94 को चुनौती दी है। इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्राङ्न्याय के सिद्धान्त के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र 22/12/2021 खारिज किये जावें। हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य व सबूतों का अवलोकन किया तथा अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का यह तर्क है कि प्रा.पत्र धारा 14(4) राजस्थान भू–आवंटन नियम 1970 के तहत् आवंटन आदेश 09/9/1994 को चुनौती दी गयी है जिस पर धारा 11 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने इस तर्क के समर्थन में हमारे समक्ष कोई नजीर प्रस्तुत नहीं की, जबकि विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का तर्क रहा है कि आवंटन दिनांक 09/9/94 14(4) राज. आवंटन नियम 1970 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रा.पत्र संख्या 40/2008 उनवानी चौथमल बनाम दीनाराम प्रस्तुत हुआ था, जिसका निर्णय 17/12/2008 के द्वारा आवंटन की प्रकिया मे किसी प्रकार की अनियमितता नहीं मानकर तथा खातेदारी अधिकार आवंटन के आधार पर प्राप्त होना मानकर खारिज किया गया था जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है। इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां अपील संख्या 5/2009 चौथमल आदि बनाम दीनाराम राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां की गयी अपील भी 04/5/2010 को खारिज हो गयी तथा इस न्यायालय का निर्णय 17/12/2008 को यथावत रखा गया है तथा उक्त आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गयी। इस प्रकार अन्तिम रूप से विनिश्चित हो चुका है। उनका तर्क रहा है कि " कोई भी न्यायालय किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय मे प्रत्यक्षत: और सारत: विवाद रहा है जो ऐसे पश्चात्वर्ती वाद या उस वाद जिसमे ऐसे विवाद्यक बाद मे उठाया गया है और अन्तिम रूप से हो चुका हे का विचारण नहीं करेगा। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निर्णय धोलिया बनाम बोर्ड ऑफ रेवन्यु व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पैरा नं. 9 के धारा 11 सीपीसी सपठित धारा 141 सीपीसी में प्रावधान प्रार्थना–पत्र मे भी लागू होना माना है। इससे स्पष्ट है कि विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थी का यह तर्क प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 में धारा 11 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते है वे सारहीन है। विद्वान अधिवक्तागण् का दूसरा तर्क यह रहा है कि पूर्ववती प्रा.पत्र चौथमल बनाम दीनाराम आदि पक्षकार नहीं है। इस कारण धारा 11 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते है। पक्षकार समान होने चाहिए अप्रार्थीगण् की ओर से प्रस्तुत नजीर मांगीलाल बनाम बद्रीलाल अन्य आरआरटी 2005(1) पेज 648 में माननीय बोर्ड ऑफ रेवन्यु द्वारा अपने निर्णय के पेरा नं. 13 मे स्पष्ट किया है । पूर्व प्रार्थना–पत्र में राज्य सरकार भी पक्षकार थी। राज्य सरकार ने भूमि आवंटन की अगर कोई शिकायत हो सकती थी तो वह राज्य सरकार को हो सकती थी, जिसने कोई चाराजोई नहीं की । अतः उन्ही तथ्यो के आधार पर अन्य कार्यवाही अन्य व्यक्ति द्वारा पोषणीय नहीं है। उक्त नजीर हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय WLC 2009(1) राज. पेज 262 में भी यह कहा गया है कि धारा 11 रेसजुडीकेटा दो प्रकरणो मे समान पक्षकार होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का यह तर्क भी सारहीन है।

मेरी राय में आवंटन दिनांक 09/9/1994 ख.नं. 376/0.16 वाके ग्राम बासडी का आवंटन धारा 14(4) राजस्थान भू–आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा चौथमल बनाम दीनाराम अन्य प्रा.पत्र सं. 40/2008 दिनांक 17/12/2008 को निर्णित किया जा चुका है, जिसकी अपील भी राजस्व अपील अधिकारी के यहां दिनांक 04/5/2010 के द्वारा खारिज हो चुकी है, जिसको कोई चुनौती नहीं दी गयी जो निर्णय अन्तिम हो चुका है। उन्ही तथ्यो पर यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसलिए धारा 11 सीपीसी सपठित धारा 141 सीपीसी के प्रावधान के अन्तर्गत प्राङ न्याय को सिद्धान्त के अनुसार अप्रार्थीगण् का प्रा.पत्र 11 सीपीसी रेसजुडीकेटा दिनांक 22/12/2021 स्वीकार किया जाने योग्य है जो स्वीकार किया जाता है। अतः प्रार्थी द्वा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 14(4) राजस्थान भू–आवंटन नियम 1970 खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)